



गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय
(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)
CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

प्रो. मनीष
कुलसचिव (प्रभारी)

By Speed Post/By Email/By Hand

F.No.55-102/2021-22A&A/1034

दिनांक: 03.02.2023

सेवा में,
डॉ. श्रीश कुमार तिवारी
सहायक आचार्य एवं समन्वयक
रणनीतिक प्रौद्योगिकी (साइबर/स्पेस) अध्ययन केंद्र
राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन संस्थान (SNSS)
गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय

विषय: दिनांक 16.02.2023 को संवादात्मक सत्र आयोजित करने हेतु स्वीकृति प्रदान करने के संदर्भ में।
संदर्भ: माननीय कुलपति द्वारा दिनांक 03.02.2023 को अनुमोदित।

डॉ. श्रीश कुमार तिवारी,
उपरोक्त वर्णित विषय पर दिनांक 23.01.2023 के आपके पत्र के संदर्भ में, यह सूचित किया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपको 16 फरवरी 2023 को "साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल इंडिया मिशन: अ पाथवे टू मेक इंडिया साइबर सुपर पॉवर" विषय पर श्री राजन लूथरा, परियोजना प्रमुख, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ संवादात्मक सत्र आयोजित करने हेतु अनुमति प्रदान कर दी गई है। साथ ही, यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता और स्थानीय आतिथ्य भी विश्वविद्यालय के नियमानुसार स्वीकृत किए गए हैं। यह पत्र आपकी जानकारी और आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु है।

सादर,


कुलसचिव (प्रभारी)

प्रति (ईमेल द्वारा):

1. अधिष्ठाता, राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन संस्थान
2. उप कुलसचिव (अकादमिक)
3. सहायक कुलसचिव (अकादमिक)
4. प्रशासनिक एवं प्राधिकारी अनुभाग
5. कुलपति सचिवालय

